



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में नाबालिंग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी प्रदीप को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त प्रदीप पुत्र बालचन्द निवासी ग्राम दबेड़ी थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा नाबालिंग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु030सं0 283/2018 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एकट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत विन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.11.2025 को मा10 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एकट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त प्रदीप को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



श्री नरेश बेदवान एडीजीसी जनपद बागपत



हुकम सिंह काट  
पैरोकार थाना रमाला



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक- 21.11.2025

जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी पंचायत चुनाव 2026 को निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए विगत एक माह में 05 असामाजिक तत्वों को 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया।

#### कार्यवाही-

जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी पंचायत चुनाव 2026 को निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए विगत 01 माह में 05 असामाजिक तत्वों को 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। अब तक कुल 68 असामाजिक तत्वों को जिलाबदर किया जा चुका है तथा अन्य के विरुद्ध भी जिलाबदर की कार्यवाही की जा रही है।

#### जिलाबदर हुए असामाजिक तत्वों का नाम व पता-

1-मनन पुत्र सुभाषचन्द निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

- 2-लोकेश पुत्र कृष्णपाल निवासी निरोजपुर रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-मोनू उर्फ मोनी पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम लौहड़डा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-प्रभात पुत्र बिहू निवासी ग्राम लौहड़डा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-अनुज उर्फ बिटटन पुत्र राकेश निवासी गांव मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत ।



**प्रेस नोट जनपद बागपत**

**थाना बिनौली**

**दिनांक 21.11.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 370/2025 धारा 305(ए) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर चोरी किया हुआ कॉस्मेटिक का सामान व 4080 रुपये नगद बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.11.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री अनिल कुमार पुत्र रिंडकू निवासी कस्बा व थाना बिनौली जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सागर पुत्र सोनवीर निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र- 27 वर्ष द्वारा वादी की दुकान से कॉस्मेटिक का सामान चोरी लिया है । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 370/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 370/2025 धारा 305(ए) में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसकी निशांदेही पर चोरी किया हुआ कॉस्मेटिक का सामान एवं 4080 रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सागर पुत्र सोनवीर निवासी करबा व थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र- 27 वर्ष

### बरामदगी का विवरण-

- कॉर्समेटिक का सामान।
- 4080 रुपये नगद।

### गिरफ्तारी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 370/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 327/25 धारा 110/ 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली बागपत।
- 2.उ0नि0 श्री पुलकित सिंह राहल थाना बिनौली बागपत।
- 3.का011115 राहुल तिवारी थाना बिनौली बागपत।





## प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 21.11.2025

थाना रमाला पर आबकारी अधिनियम के कुल 07 अभियोग में 30 लीटर अवैध देशी शराब को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

### कार्यवाही-

दिनांक 21.11.2025 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना रमाला पर वर्ष 2025 के आबकारी अधिनियम के कुल 07 अभियोग में 30 लीटर अवैध शराब को श्रीमान प्रभारी निरीक्षक रमाला व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 बड़ौत की उपस्थिति में नष्ट किया गया।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक – 21.11.2025

थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने 15 वर्षों से फरार हिस्ट्रीशीटर वारंटी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से 15 वर्षों से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर वारंटी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र यशोवर्धन निवासी ग्राम बूढ़पुर थाना रमाला जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त सचिन पुत्र यशोवर्धन का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 17/07 धारा 394/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
- मु0अ0सं0 337/09 थाना छपरौली जनपद बागपत
- मु0अ0सं0 69/09 थाना दोघट जनपद बागपत
- मु0अ0सं0 70/09 थाना दोघट जनपद बागपत
- मु0अ0सं0 103/07 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत
- मु0अ0सं0 53/07 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर
- मु0अ0सं0 119/08 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना रमाला जनपद बागपत
- मु0अ0सं0 122/08 धारा 25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत
- मु0अ0सं0 124/08 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत
- मु0अ0सं0 287/08 धारा 392 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत



11.मु0अ0सं0 439/08 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-सर्विलांस प्रभारी श्री संजय सिंह मय टीम जनपद बागपत
- 3-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत
- 4-है0का0 753 संदीप थाना रमाला जनपद बागपत
- 5-है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
- 6-का0 478 अजीत कुन्तल थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 21.11.2025

थाना बडौत पुलिस ने 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-इखलाक पुत्र सफीक निवासी मौ0 कर्यवान पट्टी चौधरान कर्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-शहजाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत।

3-संजू पुत्र विक्रमपाल निवासी सूर्यानगर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-आदेश पुत्र सूल्तान निवासी बड़का थाना बडौत जनपद बागपत ।

5-रामफूल पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

6-मुस्तकीम पुत्र मौसम निवासी ग्राम कोतना थाना बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत

2-उ0नि0श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत

3-उ0नि0श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत

4-उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत

5-है0का0750 सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत

6-है0का0 366 अंकित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत

